शीर्ष प्राथमिकता/तत्काल

संख्या-9/2020/717/छत्तीस-5-2020-8(26)/2020

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ०प्र० शासन।

2-समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र०।

श्रम अनुभाग-5 लखनऊ : दिनाँक 18 अगस्त, 2020

विषयः-उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय(आउटसोर्सिंग मैनपावर) के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2 /2019, दिनांक 18.12.2019 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग आफ मैनपावर) के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस जेम की व्यवस्था लागू की गयी है।

2- उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के क्रम में श्रम अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-298/36-5-2020, दिनांक 18 मई, 2020 (छाया प्रति संलग्न) के बिन्दु सं०-5 में यह व्यवस्था दी गयी है कि "विभागों द्वारा चयनित सेवाप्रदाता सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर अपना पंजीकरण कराने के उपरान्त सेवाप्रदाता द्वारा रिक्तियॉ पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। यदि किसी विभाग की कोई विशिष्ट आवश्यकता है तो उसको भी अभ्यर्थी पंजीकरण पेज एवं रिक्ति अपलोडिंग फार्मेट में एन०आई०सी० द्वारा संशोधन कराकर अभ्यर्थी उपलब्ध कराए जाएंगे। उक्त रिक्तियों के सापेक्ष आवेदित अभ्यर्थियों की सूची आवेदन की तिथि के वरिष्ठता क्रम में निर्धारित संख्या में सेवाप्रदाता को उपलब्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

होंगी। सेवाप्रदाता इन्हीं आवेदित अभ्यर्थियों में से चयन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। यदि मांग के अनुसार निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं करते हैं तो उपलब्ध आवेदित अभ्यर्थियों की सूची सेवाप्रदाता को उपलब्ध करा दी जाएगी तथा और अधिक अभ्यर्थियों हेतु पोर्टल पर दिनांक बढ़ाकर अन्य अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जाएगा। चयन के उपरान्त सेवाप्रदाता चयन परिणाम भी पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों की पोर्टल पर मार्किंग हेतु साफ्टवेयर में व्यवस्था एन०आई०सी० के माध्यम से करा ली जाए।"

उपरोक्त संदर्भ में जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवाप्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु निम्नवत प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :-

1. संबंधित विभाग द्वारा जेम पोर्टल से सेवाप्रदाता (नियोजक) का चयन किया जायेगा।
2. सेवाप्रदाता (नियोजक) द्वारा पूर्व के कर्मियों को समाहित करते हुए विभाग हेतु आउटसोर्सिंग की रिक्तियों की गणना की जायेगी। उदाहरणस्वरूप यदि किसी विभाग में 100 पद आउटसोर्सिंग से भर्ती हेतु उपलब्ध हैं एवं विभाग द्वारा पूर्व से कार्यरत 30 कार्मिकों को पुनः सेवायोजित किया जाता है तथा 70 नये कार्मिकों की भर्ती आउटसोर्स मे माध्यम से की जाती है तो सेवायोजन पोर्टल पर सेवाप्रदाता द्वारा कुल 100 पदों को दर्शाया जायेगा तथा भर्ती की कार्यवाही 70 पदों पर की जायेगी एवं 30 अभ्यर्थियों को "पूर्व से कार्यरत" दर्शाया जायेगा।
3. सर्वप्रथम सेवाप्रदाता द्वारा सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर नियोजक के रूप में एकाउण्ट बनाया जायेगा।
4. एकाउण्ट बनाने की प्रक्रिया में सेवाप्रदाता द्वारा जेम पोर्टल पर पंजीकरण के समय जेम द्वारा प्रदत्त आई0डी0 अंकित की जायेगी जिसका सत्यापन जिला अथवा मुख्यालय(प्रदेश से बाहर के सेवाप्रदाताओं हेतु) स्तर से किया जायेगा। सेवायोजन पोर्टल से जेम पोर्टल के इन्ट्रीग्रेशन के पश्चात् यह कार्य आटोमेटिक ए०पी०आई० के माध्यम से हो सकेगा।
5. जेम के माध्यम से ही आउटसोर्स कर्मी लेने की अनिवार्यता किये जाने से वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों की निरन्तरता भंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा शासकीय कार्य में अचानक बड़ी बाधा उत्पन्न हो जायेगी। इस हेतु वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों को ही योग्यतानुसार जेम पोर्टल द्वारा चयनित सेवाप्रदाताओं द्वारा रखा जायेगा। केवल नवीन कर्मी ही सेवायोजन पोर्टल से लिए जायेंगे। सेवाप्रदाता सर्वप्रथम संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए पूर्व से कार्यरत कार्मिकों की संख्या एवं उनकी सूची प्राप्त करेंगे। सूची प्राप्त करने के उपरान्त उक्त कार्मिकों का सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुए (यदि पूर्व से पंजीकृत नहीं हैं) उनका अंकन पूर्व से कार्यरत कर्मियों के अन्तर्गत करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. रिक्तियों का अपलोड किया जानाः-सेवाप्रदाता (नियोजक) द्वारा तदोपरान्त आउटसोर्स हेतु रिक्तियॉ पोर्टल पर "नोटिफाई वैकेन्सी" टैब में क्लिक करके अपलोड की जायेगी।

7. क:- सेवाप्रदाता संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए नये भर्ती किये जाने वाले कार्मिकों की संख्या सेवायोजन पोर्टल पर प्रविष्ट करेगें। अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के लिए पोर्टल से पॉच आवेदनकर्ताओं को, और दो या दो से अधिक कर्मियों की मांग पर तीन गुना आवेदनकर्ताओं परन्तु न्यूनतम दस आवेदनकर्ताओं में से चयन एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर किया जायेगा।

   खः- रिक्ति अपलोड की प्रक्रिया में आवश्यक सूचनाओं यथा जेम बिड/आर.ए./पी.आर.नं. (BID/RA/PR No.), आवेदन की अन्तिम तिथि, शैक्षिक योग्यता, कार्यस्थल तथा रिक्तियों की संख्या आदि का विवरण अंकित किया जायेगा।

   ग:- सेवाप्रदाता द्वारा सेवायोजन पोर्टल से तकनीकी/शैक्षिक योग्यता का परीक्षण करने पर यदि वांछित योग्यता पोर्टल पर उपलब्ध नहीं पायी जाती है तो उसके (सेवाप्रदाता)द्वारा सम्बन्धित विभाग के माध्यम से पोर्टल पर शैक्षिक योग्यता जुड़वाने हेतु निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन को आवेदन दिया जायेगा जिससे विभाग द्वारा प्रक्रिया अपनाते हुए सेवायोजन पोर्टल पर उस शैक्षिक योग्यता को जोड़ दिया जायेगा।

8. रिक्ति के सापेक्ष अर्हता प्राप्त पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची पोर्टल द्वारा स्वतः तैयार होगी।

9. इन अर्हता प्राप्त पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या सेवाप्रदाता (नियोजक) को भी प्रदर्शित होगी। यदि पोर्टल पर कम अभ्यर्थी उपलब्ध है तो सेवाप्रदाता का यह दायित्व होगा की वह व्यापक प्रचार-प्रसार कर पोर्टल पर अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का पंजीकरण करायेगा।

10. रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन करने की अवधि न्यूनतम सात दिन की होगी। अधिकतम अवधि का चयन सेवाप्रदाता द्वारा स्वयं किया जा सकता है।

11. रिक्तियों के सापेक्ष पोर्टल पर पंजीकृत योग्यताधारी अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु ई-मेल स्वतः प्रेषित हो जायेगा।

12. वॉछित अभ्यर्थियों द्वारा सम्बन्धित रिक्ति के सापेक्ष आवेदन की प्रक्रिया रिक्ति की अन्तिम तिथि अथवा आवेदन पूर्ण होने तक पूरी की जा सकेगी। नये अभ्यर्थी भी रिक्ति अपलोड होने के पश्चात जॉबसीकर के रूप में पोर्टल पर पंजीकृत होकर आवेदन कर सकेंगे।

13. आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक रिक्ति के सापेक्ष पूर्ण आवेदन प्राप्त नहीं होने पर सेवाप्रदाता द्वारा दूसरी बार तिथि बढाने की कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार दूसरी बार भी पूर्ण आवेदन प्राप्त न होने पर सेवाप्रदाता द्वारा तीसरी/अन्तिम बार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रिक्ति प्रदर्शित करने की कार्यवाही की जायेगी। इन आवेदनों हेतु भी न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

14. तीन बार आवेदन दिनांक बढाने की सुविधा के पश्चात् भी निर्धारित संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन न किये जाने पर अवशेष अभ्यर्थियों का पोर्टल द्वारा रैण्डम आधार पर चयन किया जायेगा। इसके उपरान्त निम्न दो स्थितियां हो सकती हैं-

क- यदि पोर्टल से रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुना अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाते हैं तो सेवाप्रदाता द्वारा अनिवार्य रूप से उक्त अभ्यर्थियों में से ही चयन की कार्यवाही पूर्ण की जायगी।

ख- यदि पोर्टल पर कुल पात्र अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की तीन गुना संख्या से कम है तो ऐसी स्थिति में पोर्टल द्वारा समस्त पात्र अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त सूची से सेवाप्रदाता को कम से कम एक तिहाई अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य रूप से करना होगा। शेष रिक्तियों के सापेक्ष बचे हुए पात्र अभ्यर्थियों की सूची से चयन किया जा सकता है। किन्तु यदि अपेक्षित संख्या में दक्ष अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो शेष रिक्तियों के सापेक्ष वर्तमान चयन की प्रक्रिया को आगे दी हुई प्रक्रिया के अनुरूप पूर्ण किया जायेगा एवं बची हुई रिक्तियों के सापेक्ष पुनः चयन की प्रक्रिया की जायगी।

उदाहरण-

I. यदि 10 रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही की जानी है तो तीन गुना अर्थात 30 अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यदि 30 अभ्यर्थियों ने पोर्टल पर आवेदन कर दिया है तो सेवाप्रदाता द्वारा अनिवार्य रूप से इन्हीं 30 अभ्यर्थियों में से 10 अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

II. यदि 10 रिक्तियों के सापेक्ष केवल 13 अभ्यर्थी ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं तो पोर्टल के द्वारा इन समस्त 13 अभ्यर्थियों की सूची सेवाप्रदाता को प्राप्त हो जायेगी। उक्त सूची में से सेवाप्रदाता द्वारा एक तिहाई अर्थात 4 अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से चयनित करना होगा।शेष बचे 9 अभ्यर्थियों में से सेवाप्रदाता द्वारा बची हुई 6 रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जायेगा। यदि 9 अभ्यर्थियों में से उसे 6 दक्ष अभ्यर्थी प्राप्त हो जाते हैं तो सेवाप्रदाता द्वारा चयन कार्यवाही आगे दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ण की जायेगी। किन्तु यदि 9 अभ्यर्थियों में से मात्र 4 दक्ष अभ्यर्थी ही प्राप्त हो पाते हैं तो ऐसी स्थिति में चयनित 8 अभ्यर्थियों की चयन कार्यवाही आगे दिये गये निर्देशों के अनुरूप पूर्ण की जायेगी एवं बचे हुए दो अभ्यर्थियों के लिए चयन की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ से की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

III. यदि 10 रिक्तियों के सापेक्ष केवल 9 अभ्यर्थी ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं तो पोर्टल के द्वारा इन समस्त 9 अभ्यर्थियों की सूची सेवाप्रदाता को प्राप्त हो जायेगी। उक्त सूची में से सेवाप्रदाता द्वारा एक तिहाई अर्थात 3 अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से चयनित करना होगा। शेष बचे 6 अभ्यर्थियों में से 7 रिक्तियों को भरा जाना है। अतः स्पष्ट है कि चयन की कार्यवाही पुनः की जानी होगी। इन 6 अभ्यर्थियों में से यदि सेवाप्रदाता को 4 दक्ष अभ्यर्थी प्राप्त हो जाते हैं तो वह कुल चयनित 7 अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही अग्रिम निर्देशों के अनुरूप पूर्ण करेंगे एवं बची हुई 3 रिक्तियों के लिए चयन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ से करेंगे।

15. आवेदन की अन्तिम तिथि पर अथवा अन्तिम तिथि के पूर्व यदि अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के लिए पोर्टल से पॉच आवेदनकर्ताओं, दो या दो से अधिक कर्मियों की मांग पर तीन गुना आवेदनकर्ताओं परन्तु न्यूनतम दस आवेदनकर्ता उपलब्ध हो जाते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया स्वतः रूक जायेगी एवं सेवाप्रदाता (नियोजक)अपनी विशिष्टि जॉब आई0डी0 से आउटसोर्स हेतु आवेदित अभ्यर्थियों की सूची निम्न सूचनाओं सहित डाउनलोड कर सकते हैं-

क- विभाग का विवरण/रिक्तियों की संख्या/सेवाप्रदाता (नियोजक) का विवरण इत्यादि

ख- रिक्ति अधिसूचन की तिथि।

ग- आवेदन की अन्तिम तिथि।

घ- आवेदन प्रक्रिया के बन्द होने की वास्तविक तिथि।

ड़- आवेदित अभ्यर्थियों की क्रमवार सूची आवेदन की तिथि सहित (First Come First Serve)।

16. सेवाप्रदाता (नियोजक) द्वारा उपरोक्तानुसार आवेदित सूची प्राप्त होने के उपरान्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार/लिखित परीक्षा तथा प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों का परीक्षण करते हुए समुचित संख्या में लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

17. उक्त चयन की कार्यवाही संबंधित विभाग को अवगत कराते हुए की जायेगी एवं चयनित अभ्यर्थियों की दक्षता को संबंधित विभाग द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त ही चयन को अंतिम करते हुए चयन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

18. अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त सेवाप्रदाता (नियोजक) द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर चयनित अभ्यर्थियों का अंकन किया जायेगा।

19. तदोपरान्त सेवाप्रदाता (नियोजक) द्वारा अपनी जॉब आई०डी० के माध्यम से अन्तिम चयन रिपोर्ट डाउनलोड की जायेगी।

20. अन्तिम चयन रिपोर्ट में निम्न विवरण उपलब्ध होंगेः-

क-सेवाप्रदाता (नियोजक) का विवरण।

ख-विभाग का विवरण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ग-मॉग का विवरण।

घ-रिपोर्ट की विशिष्टि आई०डी०।

ड़-रिक्तियां अपलोड करने की तिथि/आवेदन की अन्तिम तिथि(तीन बार तिथि बढाये जाने पर उसका विवरण)/मॉग को लॉक किये जाने की तिथि।

च-चयनित अभ्यर्थियों की सूची।

21. अंततः सेवाप्रदाता द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा लॉगिन कर विशिष्टि आई०डी० के माध्यम से रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की सूची का परीक्षण/सत्यनिष्ठा की जॉच की जा सकेगी। इस प्रकार आउटसोर्सिंग से भर्तियों की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

3- अतः अनुरोध है कि कृपया जेम पोर्टल पर पंजीकृत सेवाप्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु उपरोक्त आउटसोर्स प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

सुरेश चन्द्रा
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-9/2020/717(1)/छत्तीस-5-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

सत्यवान सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–8/2019/20/1/91–का–2/2019

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. **आयुक्त एवं निदेशक,**
   उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0 कानपुर।
3. **समस्त विभागाध्यक्ष,**
   उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक: 18 दिसम्बर, 2019

विषय :– उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग आफ मैनपावर) के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित जेम की व्यवस्था लागू किये जाने विषयक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–11/2017/523/18–2–2017–97(ल.उ.)/2016 दिनांक 23.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के लिए जेम का उपयोग अनिवार्य किया गया है। अतएव, सेवायें, जो जेम पर उपलब्ध है, के स्थान पर अन्य प्रकार से क्रय नहीं की जानी चाहिए।

2– मैनपावर जेम से क्रय करने के सम्बन्ध में मुख्य व्यवस्थाएं/विशेषताएं निम्नवत् हैः–

1. जेम पोर्टल पर बड़ी संख्या में सेवा प्रदाता पंजीकृत हैं और पूरे देश में अनेक संस्थाएं वर्तमान में जेम से मैन पावर प्राप्त कर रही हैं ।

2. इस पोर्टल पर सेवा प्रदाताओं की प्रोफाइल तथा ट्रैक रिकार्ड का क्यू0सी0आई0 (क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया) द्वारा वैलिडेशन होने के बाद ही पंजीकरण होता है।

3. सेवा प्रदाताओं की सेवाओं के आधार पर लगातार रेटिंग होती रहती है।

4. किसी भी प्रकार की शिकायत (जो कि पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत होती है), के आधार पर सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध कार्यवाही भी होती है जिसमें तीन माह से लेकर तीन साल तक सेवा प्रदाता को डीलिस्ट किया जा सकता है। डीलिस्ट सेवा प्रदाताओं की सूची पोर्टल के होम पेज पर रियल टाइम में सभी क्रेताओं की सूचना हेतु उपलब्ध रहती है।

5. जेम पर भारत सरकार की प्रोक्योरमेंट से संबंधित गाइडलाइन्स, बिड माड्यूल में प्रयोग की गयी हैं जिससे प्रतिस्पर्द्धात्मक एवं पारदर्शी क्रय संभव होता है। सेवा प्रदाताओं हेतु जेम में बिड करने के लिए अत्यधिक अवरोधक शर्तें क्रेताओं द्वारा न लगाने आदि के लिए पोर्टल पर आटोमेटिक व्यवस्था है।

6. आउट सोर्सिंग सेवा हेतु सर्विस लेवल यथा वेतन तथा निर्धारित कटौतियां (ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0) समय से शासन द्वारा निर्धारित खातों में जमा किया जाना आदि कान्ट्रैक्ट में विस्तृत रूप से निर्धारित है।

7. इन सभी सेवा शर्तों के अनुपालन के आधार पर सेवा प्रदाता को निर्धारित समय पर (मासिक, त्रैमासिक) क्रेता द्वारा भुगतान जेम के ऑनलाइन माध्यम से किया जाना होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. किसी भी शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विस्तृत पेनाल्टी का भी प्राविधान है। उदाहरण के लिए यदि वेतन समय से नहीं दिया जाता है तो प्रति कर्मचारी 100 रुपये प्रति दिन का जुर्माना नियत है। यदि किसी क्रेता द्वारा ऐसे उल्लंघन के लिए और अधिक पेनाल्टी नियत करायी जानी है, तो उसे सम्मिलित करने का भी प्राविधान है।

9. जेम के सामान्य नियम व शर्तों में इंगित है कि अनुबन्ध (Contract) क्रेता व सेवा प्रदाता के बीच है। यदि किसी कान्ट्रैक्ट के प्रचलित रहते हुए अन्य किसी प्रकरण में सेवा प्रदाता के विरुद्ध डिलिस्टिंग की कार्यवाही अमल में लायी जाती है तो इस सूचना के आधार पर अन्य क्रेता अपने स्वविवेक से अपना कांट्रैक्ट जारी रखने या समाप्त करने का निर्णय ले सकते हैं परन्तु अन्य प्रचलित कान्ट्रैक्ट स्वतः समाप्त नहीं होंगे।

10. यदि किसी क्रेता द्वारा किसी विशेष शर्त की आवश्यकता अनुभव की जाती है (जैसे कि निर्धारित सीमा से भिन्न न्यूनतम बिड राशि/न्यूनतम टर्नओवर अथवा कर्मियों की संख्या के अनुसार अन्य शर्तें) तो जेम में क्रेता के क्रय हेतु विशेष शर्त को सम्मिलित किये जाने की भी व्यवस्था उपलब्ध है।

11. जेम पोर्टल पर एक व्यवस्था यह भी है कि कोई क्रेता यदि अपने अनुरूप नई शर्तें जोड़कर बिड प्राप्त करना चाहता है तो वह जेम पर नई शर्त का सुझाव प्रेषित कर सकता है और जेम द्वारा शर्तें को उपयुक्त पाये जाने पर क्रेता विशेष के लिए अथवा सामान्य रूप से बिड में जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार कर्मियों से जबरदस्ती यदि कोई धनराशि सेवा प्रदाता लेने का प्रयास करता है तो सेवा प्रदाता पर कार्यवाही की शर्त जोड़ी जा सकती है।

3– उल्लेखनीय है कि सामान्यतः आउट सोर्सिंग कर्मियों के रखने में चार स्तरों पर भ्रष्टाचार की संभावना होती है।

1) सेवा में रखे जाने के बाद समय से एवं पूर्ण भुगतान करने की एवज में कर्मियों से वसूली सम्भव है। इसे रोकने के लिए उपर्युक्त पैरा 2 के बिन्दु–11 की व्यवस्था क उपयोग करने का प्रयास किया जायेगा। इसके लिए सेवा प्रदाताओं हेतु यह स्पष्ट शर्त जोड़ी जानी होगी कि इससे सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर सेवा प्रदाता के विरुद्ध डीलिस्टिंग की कार्यवाही करने का अधिकार क्रेता विभाग/एजेन्सी को होगा।

2) भ्रष्टाचार का दूसरा बड़ा बिन्दु कर्मियों के चयन के समय उत्पन्न हो सकता है। इसे रोकने के लिए पुनः पैरा 2 के बिन्दु–11 की व्यवस्था का उपयोग करते हुए यह अतिरिक्त शर्त जेम में जुड़वाने का प्रयास किया जायेगा कि सेवा प्रदाता द्वारा उत्तर प्रदेश सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित sewayojan.up.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध आवेदकों में से ही कर्मी दिये जाएंगे। अभी सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर कैन्डीडेटस को वरिष्ठता क्रम में रखने अथवा पोर्टल पर आवेदन कर्ताओं में से रैण्डम चयन की व्यवस्था नहीं है। सेवायोजन विभाग द्वारा अपने पोर्टल को संशोधित करना होगा। सेवायोजन के पोर्टल में यह बदलाव करके सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से इस पोर्टल से ही वरिष्ठतम अथवा कम्प्यूटर द्वारा रैण्डम आधार पर चयनित कर्मी उपलब्ध कराने की बाध्यता जेम पोर्टल पर अतिरिक्त शर्त के रूप में जोड़ने से यह समस्या बहुत हद तक सीमित होगी। सेवायोजन के पोर्टल पर अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक ही व्यक्ति बार–बार, पृथक–पृथक क्रमांक पर अपना पंजीकरण न करा सके, हालांकि उनके पोर्टल पर आधार नम्बर का प्राविधान है। सेवायोजन विभाग को अपने पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि एक ही व्यक्ति मल्टीपल पंजीकरण न करा सके।

3) कर्मचारियों को तंग करने की एक संभावना उनके आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजित होने के उपरान्त प्रत्येक अंतराल बाद उनके निरंतरीकरण के समय उत्पन्न हो सकती है। इसे रोकने हेतु पैरा 2 के बिन्दु–11 का उपयोग कर जेम पोर्टल में नई शर्त जुड़वाने का प्रयास किया जायेगा कि एक बार किसी कर्मी को तैनात करवाने के बाद सेवा प्रदाता स्वमेव उसे बदल नहीं सकता है।

4) जेम के माध्यम से ही आउटसोर्स कर्मी लेने की अनिवार्यता किए जाने से वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों की निरंतरता भंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा शासकीय कार्य में अचानक बड़ी बाधा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्पन्न हो जायेगी। अतः प्रस्तर–2 के बिन्दु–11 का उपयोग करके जेम पर एक नई शर्त भी जुड़वाने का प्रयास किया जायेगा कि वर्तमान में कार्य कर रहें आउटसोर्स कर्मियों को ही जेम पोर्टल द्वारा चयनित सेवा प्रदाताओं द्वारा रखा जायेगा। केवल नवीन कर्मी ही सेवायोजन पोर्टल से प्रस्तर–3(2) के अनुसार लिए जायेंगे।

4– उक्त के अतिरिक्त निम्न शर्तें भी बिड की शर्तों में सम्मिलित करायी जायेंगी:–

1) कर्मियों को विलम्ब से भुगतान किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग एजेन्सी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर 18 प्रतिशत ब्याज व पैनाल्टी भी लगायी जाय।

2) सेवा प्रदाता एजेन्सी के चयन हेतु न्यूनतम अर्हताए भी निश्चित कर दी जाएं ताकि सक्षम सेवा प्रदाता द्वारा ही सेवा प्रदत्त की जा सके।

3) सेवायोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल से कैन्डीडैट्स को वरिष्ठता कम अथवा रैण्डम व्यवस्था के अंतर्गत चयन किये जाने हेतु सेवा प्रदाता विभागों द्वारा कर्मियों की मांग यथा– एक कर्मी के लिए पोर्टल से पाँच आवेदनकर्ताओं को, और दो या दो से अधिक कर्मियों की मांग पर तीन गुना आवेदनकर्ताओं परन्तु न्यूनतम दस आवेदनकर्ताओं में से चयन, एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर उनकी क्षमता, योग्यता का मूल्यांकन करते हुए किया जायेगा, जिसमें केता विभाग की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी।

5– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर जेम पोर्टल की उपयोगिता को देखते हुए सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समस्त विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में केवल जेम पोर्टल से ही मैनपावर आउटसोर्स किया जाय। उक्त के अतिरिक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित समस्याओं के क्रमशः निराकरण के सम्बन्ध में उचित शर्तें तथा प्रस्तर–4 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप जेम पोर्टल में जुड़वाने की कार्यवाही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तत्काल सुनिश्चित करायेंगे तथा इस सम्बन्ध में अपने उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.08.2017 के कम में एक समेकित आदेश जारी करेंगे। इस आदेश के जारी होने की तिथि से मैनपावर आउटसोर्सिंग हेतु समय–समय पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा नामित एजेन्सियॉं यथा–श्रीट्रान/अपट्रान/यूपीडेस्को/यूपीएसआईसी इत्यादि जिनके माध्यम से वर्तमान में आउटसोर्सिंग व्यवस्था प्रचलित है, से सम्बन्धित समस्त आदेश निरस्त माने जायेंगे।

6– सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर कैन्डीडेटस को वरिष्ठता कम में रखने अथवा पोर्टल पर आवेदन कर्ताओं में रैण्डम चयन की व्यवस्था नहीं है। सेवायोजन विभाग द्वारा अपने पोर्टल को तत्काल संशोधित करना होगा। सेवायोजन के पोर्टल में यह बदलाव करके सेवा प्रदाताओं को अनिवार्य रूप से इस पोर्टल से ही वरिष्ठतम अथवा कम्प्यूटर द्वारा रैण्डम आधार पर कर्मियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी **(सेवायोजन विभाग इनमें से एक विकल्प चुनकर तय करेंगे)**।

7– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा सेवायोजन विभागों द्वारा उपरोक्त व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में इस शासनादेश के निर्गत किये जाने की तिथि से 45 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में संगत कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

8– उक्त संदर्भ में मुझे यह भी कहना है कि वर्तमान में प्रचलित आउटसोर्सिंग के अनुबन्ध (Contract) इस नई व्यवस्थों के लागू होने से स्वतः समाप्त नहीं होंगे बल्कि प्रश्नगत अनुबन्ध की वैधता अवधि अथवा 06 माह, जो भी कम हो, तक कियाशील रहेंगे।

अतः अनुरोध है कि कृपया शासन द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।**

संख्या–8/2019/20(1)/1/91–का–2/2019, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3) निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
8) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9) निदेशक, सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
10) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
12) संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने हेतु।
13) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–298 / छत्तीस–5–2020

प्रेषक,

जय शंकर तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उ0प्र0, लखनऊ।

श्रम अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2020

विषय–उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय(आउटसोसिंग ऑफ मैनपावर) के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई मार्केटप्लेस जेम(GeM) की व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–99 / ई–2 / नीति प्रक्रिया / 2016, दिनांक 30–04–2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासन स्तर पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :–

1. भारत सरकार द्वारा विकसित जैम में यह शर्त जुड़वा दी जाए कि प्रदेश में सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित sewayojan.up.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध आवेदकों में से ही कर्मी दिए जायेंगे। सेवायोजन विभाग को अपने पोर्टल पर इस आशय का भी संशोधन कर लिया जाए कि सेवा प्रदाताओं को अनिवार्य रूप से इस पोर्टल से ही वरिष्ठतम् अथवा कम्प्यूटर द्वारा रैण्डम आधार पर चयनित कर्मी उपलब्ध हो सके।
2. सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल में इस आशय का संशोधन कर लिया जाए कि एक ही व्यक्ति बार–बार पृथक–पृथक क्रमांक पर अपना पंजीकरण न करा सके अर्थात एक ही व्यक्ति का मल्टीपल पंजीकरण न हो सके।
3. जेम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मी लेने की अनिवार्यता किए जाने से वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मियों की निरन्तरता भंग न हो इसके लिए जेम पर एक नई शर्त जुड़वा ली जाए। वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों को ही जैम पोर्टल द्वारा चयनित सेवा प्रदाता द्वारा रखा जाएगा। मात्र नवीन कर्मी ही सेवायोजन पोर्टल के प्रस्तर–3(2) के अनुसार लिए जायेंगे।
4. सेवायोजन विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल से कैंडिडेट्स को वरिष्ठता क्रम अथवा रैण्डम व्यवस्था के अन्तर्गत चयन किए जाने हेतु सेवा प्रदाता विभागों द्वारा कर्मियों की कार्मिक विभाग के उपर्युक्त आदेश दिनांक 18.12.2019 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पैरा–4 के बिन्दु सं0–3 के अनुसार की गयी मांग के संबंध में एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जायेगी, जिसमें क्रेता विभागों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

5. विभागों द्वारा चयनित सेवा प्रदाता सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर अपना पंजीकरण कराने के उपरान्त सेवा प्रदाता द्वारा रिक्तियां पोर्टल पर अपलोड की जायेंगी। यदि किसी विभाग की कोई विशिष्ट आवश्यकता है तो उसको भी अभ्यर्थी पंजीकरण पेज एवं रिक्ति अपलोडिंग फार्मेट में एन0आई0सी0 द्वारा संशोधन कराकर अभ्यर्थी उपलब्ध कराए जायेंगे। उक्त रिक्तियों के सापेक्ष आवेदित अभ्यर्थियों की सूची आवेदन की तिथि के वरिष्ठता क्रम में निर्धारित संख्या में सेवा प्रदाता को उपलब्ध होंगी। सेवा प्रदाता इन्हीं आवेदित अभ्यर्थियों में से चयन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

यदि मांग के अनुसार निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं करते हैं तो उपलब्ध आवेदित अभ्यर्थियों की सूची सेवा प्रदाता को उपलब्ध करा दी जाएगी तथा और अधिक अभ्यर्थियों हेतु पोर्टल पर दिनांक बढ़ाकर अन्य अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जाएगा। चयन के उपरान्त सेवा प्रदाता चयन परिणाम भी पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों की पोर्टल पर मार्किंग हेतु साफ्टवेयर में व्यवस्था एन0आई0सी0 के माध्यम से करा ली जाए।

3– अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जय शंकर तिवारी)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।